रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 1974/वैशाख 20, 1896

No. 116] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 1974/VAISAKHA 20, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 10th May 1974

G.S.R. 219(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Southern States (Regulation of Export of Rice) Order, 1964, namely:—

1. (1) This Order may be called the Southern States (Regulation of Export of Rice) Amendment Order, 1974.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Southern States (Regulation of Export of Rice) Order, 1964,—

(i) in clause 1, in sub-clause (2), for the words "Madras and Mysore", the words "Tamil Nadu and Karnataka" shall be substituted;

(ii) in clause 2, in sub-clause (c)—

(a) in item (iii), for the word "Madras" the words "Tamil Nadu" shall be substituted;

(b) in item (iv), for the word "Mysore" the word "Karnataka" shall be substituted;

(iii) for clause 3A the following clause shall be substituted, namely:—

"3A. **Restriction on Transport of Rice to, from or within the Border Area.**— No person shall transport, attempt to transport or abet the transport of rice—

(a) to any place in the border area from any place outside that area; or

(b) from any place in the border area to any place outside that area; or

(c) from any place in the border area to any other place in that area,

except under and in accordance with a permit issued by the State Government or any officer authorised by that Government in this behalf:

Provided that nothing contained herein shall apply to the transport of rice—

(i) on Government account;

(ii) under and in accordance with Military Credit Notes;

(iii) by or on behalf of the Food Corporation of India established under section 3 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964);

(iv) within the same town or village in the border area;

(v) from a village in the border area to the nearest grain market (mandi) in the "specified area" whether such market (mandi) is within or outside the border area;

(vi) not exceeding twenty kilograms in weight in the aggregate by a *bona fide* travellor as part of his luggage;

(vii) being received as gift under the Indo-US Agreement on Relief Supplies, 1968.

Explanation I.—For the purposes of this clause "border area" means—

(i) the area within the ten-mile belt inside the specified area referred to in item (i) of sub-clause (c) of clause 2 and adjoining another specified area;

(ii) the area within the five-mile belt inside a specified area other than the specified area referred to in item (i) of sub-clause (c) of clause 2 and adjoining another specified area.

Explanation II.—In the specified area referred to in item (iii) of sub-clause (c) of clause 2, border area includes all villages that lie only partly in that area.";

(iv) in clause 4, item (v) shall be omitted and item (vi) shall be re-numbered as item (v);

(v) in clause 5, in sub-clause (1), in item (c), for the word "suspects" the words "has reason to believe" shall be substituted.

[No. 204(SRZ)(1)/74-PY(II)/74-WT(I)-10]

ISHWAR CHANDRA, Jt. Secy.

कृषि मन्त्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 मई, 1974

सा० का० नि० 219(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दक्षिण राज्य (चावल निर्यात का विनियमन) आदेश, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात :—

1. (1) इस आदेश का नाम दक्षिण राज्य (चावल निर्यात का विनियमन) संशोधन आदेश 1974 है।

(2) यह आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. दक्षिण-राज्य (चावल निर्यात का विनियमन) आदेश, 1964 में,—

(i) खण्ड 1 के उपखण्ड (2) में, "मद्रास और मैसूर" शब्दों के स्थान पर, "तमिलनाडु और कर्नाटक" शब्द रखे जायेंगे,

(ii) खण्ड 2 के उपखण्ड (ग) में—

(क) मद (iii) में, "मद्रास" शब्द के स्थान पर, "तमिलनाडु" शब्द रखा जायेगा,

(ख) मद (iv) में, "मैसूर" शब्द के स्थान पर "कर्नाटक" शब्द रखा जाएगा;

(iii) खण्ड 3क के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात :—

"3क.—**सीमा क्षेत्र को वहां से या उसके भीतर चावल के ले जाने पर निर्बन्धन.**—

कोई व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा या इस निमित्त उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुज्ञा-पत्र के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय,

(क) सीमा-क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से सीमा-क्षेत्र में किसी स्थान को, या

(ख) सीमा-क्षेत्र के किसी स्थान से उस क्षेत्र के बाहर किसी स्थान को, या

(ग) सीमा-क्षेत्र के भीतर एक स्थान से किसी अन्य स्थान को, चावल न तो ले जाएगा, न ले जाने का यत्न या न ले जाने का दुष्प्रेरण करेगा ;

परन्तु उसमें अन्तर्विष्ट कोई बात चावल के ले जानेपर निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होगी जबकि वह —

(i) सरकार के खाते पर हो ;

(ii) सेना जमा-पत्रों के अधीन और उनके अनुसार हो ;

(iii) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम के द्वारा या की ओर से हो;

(iv) सीमा-क्षेत्र में उसी नगर या गांव के भीतर हो;

(v) सीमा-क्षेत्र में किसी गांव से "विनिर्दिष्ट क्षेत्र" में निकटतम अनाज मण्डी को ले जाया जाता हो, चाहे ऐसी मण्डी सीमा-क्षेत्र के भीतर हो या बाहर;

(vi) वास्तविक यात्री के सामान के रूप में वजन में कुल मिलाकर बीस किलोग्राम से अधिक न हो;

(vii) सहायता प्रदाय के लिए भारत-अमरीकी करार, 1968 के अन्तर्गत दान के रूप में प्राप्त हुआ हो ।

स्पष्टीकरण 1.—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए "सीमा-क्षेत्र" से—

(i) खण्ड 2 के उपखण्ड (ग) की मद (i) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर दस मील की पट्टी के अन्तर्गत आने वाला और अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्र से मिला हुआ क्षेत्र, अभिप्रेत है,

(ii) खण्ड 2 के उपखण्ड (ग) के मद (i) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न विनिर्दिष्ट पांच मील की पट्टी के अन्तर्गत आने वाला और अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्र से मिला हुआ क्षेत्र, अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण II.—खण्ड 2 के उपखण्ड (ग) के मद (iii) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में वे सभी गांव सम्मिलित हैं जो उस क्षेत्र में भागतः आते हैं;

(iv) खण्ड 4 में, मद (v) का लोप किया जाएगा और मद (vi) को मद (v) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा,

(v) खण्ड 5 के उपखण्ड (1) की मद (ग) में, "वह संदेह करता है" शब्दों के स्थान पर "उसके पास विश्वास करने का कारण हो" शब्द रखे जायेंगे।

[सं० 204 (एस आर जैड) (1)/71—पी बाई (II)/74—बजबूटी (I)—10]

ईश्वर चन्द्र, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974